



# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छोगो)

**GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CG)**

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 संख्या 25, 2009 द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by the central University Act.2009 No. 25 of 2009)

नैक द्वारा A++ प्रत्यायित विश्वविद्यालय

NAAC A++ Grade Accredited Vishwavidyalaya

क्रमांक 66 / विकास / 2024


दिनांक: 28/06/24

## कार्यालयीय ज्ञाप

विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की स्थाई समिति की 181वीं बैठक दिनांक 04/06/2024 के विषय क्रमांक 8 में लिए गए निर्णय के अनुसार शैक्षणिक/साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे व्याख्यान, सेमिनार, सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशालाएं, संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों इत्यादि के दौरान रजत जयंती सभागार में अन्य संस्थानों/पीएसयू/स्वायत्त निकायों/पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र के संगठन, केंद्र/राज्य सरकारों के पंजीकृत संगठनों इत्यादि द्वारा प्रदर्शनी लगाए जाने हेतु किराया दर 5,000/- प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

रजत जयंती सभागार की बुकिंग सक्षम अनुमति/अनुमोदन के पश्चात ही होगी।

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रतिलिपि:

- कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
- समस्त अध्ययनशालाओं के अधिष्ठातागण/समस्त विभागाध्यक्षगण/समस्त नियंत्रक अधिकारीगण की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी विश्वविद्यालय यंत्री, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रभारी, रजत जयंती सभागार, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रभारी, वेबसाइट सेल, को वेबसाइट के सूचना पटल पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- प्रभारी मीडिया प्रकोष्ठ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
- कार्यालय प्रति।



सहायक कुलसचिव (विकास)